

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग  
(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2016

संख्या प. 2 (29) विधि/2/2014.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015  
(2016 का अधिनियम संख्यांक 2)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 2016 को प्राप्त हुई)

ऊंट के वध के प्रतिषेध हेतु उपबंध करने और उसके राजस्थान से अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन करने के लिए विधेयक अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "ऊंट का मांस" से ऊंट का मांस अभिप्रेत है;

(ख) "ऊंट" से ऊंटीय प्रजाति का कोई पशु अभिप्रेत है;

(ग) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी अन्य अधिकारी आता है जिसे राज्य सरकार के द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों और ऐसी कालावधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम

प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये;

- (ड) "खण्ड आयुक्त" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई आयुक्त अभिप्रेत है;
- (च) "निर्यात" से राजस्थान राज्य से, राजस्थान राज्य के बाहर के किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है;
- (छ) "दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र" से दुर्भिक्ष या अभाव से ग्रस्त ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसके बारे में राज्य सरकार के द्वारा किसी समुचित विधि के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई घोषणा की गयी है;
- (ज) "वध" से किसी भी ढंग से और चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए, साशय मारना अभिप्रेत है;
- (झ) "परिवाहक" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है,-
- (क) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) में यथापरिभाषित किसी माल गाड़ी के मामले में,-
- (i) स्वामी, यदि बुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;
  - (ii) यान का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;
  - (iii) माल या पशुधन की बुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;

